1. यह दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53.188...RTPA
का द्वारा श्री किशोरीलाल एड.के द्वारा प्रस्तुत हुआ है।
2. कोर्ट
3.
4.
5. अवलोकनार्थ

उपखण्ड अधिकारी महोदय शाखा लिपिक/रीडर

समन जारी करे 10-8-22
जरिए. RAD.
11-10-22 को पेश
10/8/22

Not Proved
11/10/22

11-10-22 वकील वादी ने अपना मूल वाद नोट शीट में खारिज किया गया। दवा वही नोट शीट मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेख भण्डार है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)